आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी0डी0एस0 पुनरीक्षण वाद संख्या –51/2023

अहिल्या देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
02.05.2023	प्रस्तुत वाद समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के आपूर्ति अपील वाद सं0–21/2019–20 दिनांक 13.12.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। जिस आदेश से समाहर्त्ता ने वादी के वाद को Dismissed for Default हो जाने पर Restoration हेतु दिये गये आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी के अनुपस्थिति/अरूचि के कारण निम्न न्यायालय द्वारा Dismissed for Default कर दिया गया था। उसके बाद वादी ने समाहर्त्ता के आदेश दिनांक 20.09.2022 के आलोक में 1,000/– रूपया जिला नजारत शाखा में जमा किया फिर भी समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता के वाद को अस्वीकृत कर दिया, जिसके विरूद्ध यह वाद दायर है। उल्लेखनीय है कि समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने अपने आदेश दिनांक 13.12.2022 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि :– "Ld. SPP, 7EC, Muz submitted that in PDS Control Order, there is no provision of the restoration of any case. The restoration petition filed by the petitioner is fit to be rejected. In the light of the above submission the restoration petition is rejected with the direction to the	

WEB COPY NOT OFFICIAL

petitioner to file the case in the competent court.

The NDC, Muz is directed to refund the deposited amount (Rs 1000/- One Thousand rupees only) to the petitioner." जो नियमानुकूल है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL